बिहार सरकार
वित्त विभाग

पत्र सं०- 4-27-2011-5542/वि०(2) पटना, दिनांक- 23.05.2012

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी,

सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,

सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषयः- व्यक्तिगत जमा खाता खोलने एवं संचालित करने के संबंध में ।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्र संख्या-3687 दिनांक 30.03.2012 एवं महालेखाकार, बिहार का पत्र संख्या- PDA 163(2011-12) दिनांक- 13.12.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार, बिहार के पत्र संख्या- PDA-163(2011-12) दिनांक 13.12. 2011 का स्मरण किया जाय जो महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा आपको भी भेजी गयी है । महालेखाकार, बिहार द्वारा बिहार कोषागार संहिता 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी के व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है । इसी संदर्भ में वित्त विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको कोषागार पदाधिकारी से संपर्क कर व्यक्गित जमा खाता खुलवाने एवं भू-अर्जन से संबंधित राशि उसमें जमा करने की कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया था एवं उसके संचालन के संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश भी दिये गये है । अभी तक केवल औरंगाबाद एवं बेगूसराय जिले में जिला पदाधिकारी के पदनाम से व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने की सूचना प्राप्त है परन्तु अन्य जिलो में व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुआ है तथा अभी भी भू-अर्जन से संबंधित राशि बैंक खाते में ही रखे गये है जो बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 34 एवं बिहार वित्तीय नियमावली खंड-1 के नियम-6 के प्रतिकूल है ।

अतः निदेश दिया जाता है कि कोषागार में अविलम्ब व्यक्तिगत जमा खाता खोलकर संबंधित राशि को उसमें जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

विश्वासभाजन

रामेश्वर सिंह